

नया रायपुर के विभिन्न सेक्टरों में दुकानों/हॉल का लाइसेंस पर
आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक/११५६/६(२)/६०/संपदा/एनआरडीए/२०१७

नया रायपुर, दिनांक ०८ /१२/२०१७





नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी

पर्यावास भवन नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-१९, नया रायपुर (छ.ग.) - ४९२००२

दूरभाष ०७७१-२५११५००, फेक्स ०७७१-२५११४०० ई-मेल : ceo@nayaraipur.com,

वेब साइट - www.nayaraipur.gov.in

नया रायपुर के विभिन्न सेक्टरों में दुकान/हॉल के लाइसेंस पर
आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना एवं निविदा प्रपत्र

निविदा प्रपत्र निम्नांकित को जारी -

मेसर्स/श्री _____

निविदा प्रपत्र शुल्क :- रुपये 500/- (रुपये पांच सौ मात्र)

मनी रसीद बुक नं. _____, रसीद नं. _____, दिनांक ____ / ____ / 2017

DOVone

डिसक्लेमर

1. प्रस्तुत दस्तावेजों में जो जानकारी दी गयी है वह निविदा में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों की सुविधा और जानकारी मात्र के लिए है।
2. दस्तावेजों को तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गयी है तथापि, यह निविदा भरने वाले व्यक्ति का दायित्व है कि वह जानकारियों के संबंध में स्वयं सत्यापन कर पूर्ण रूप से संतुष्टि प्राप्त कर लेवे। यदि दस्तावेजों में वर्णित किन्ही जानकारी या शर्तों में कोई कमी या विरोधाभास प्रतीत हो रहा हो तो उसे निविदा जमा करने की अंतिम तिथि के दो दिन पूर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी को लिखित सूचना के द्वारा जानकारी प्रदान की जावे, अन्यथा यह माना जायेगा कि निविदा दाता द्वारा दस्तावेजों के पर्याप्त एवं पूर्ण होने के संबंध में संतुष्टि प्राप्त कर ली गयी है।
3. निविदा दस्तावेज अनुबंध नहीं है और न ही कोई ऑफर है। ये दस्तावेज टेंडर जमा करने के इच्छुक व्यक्तियों को प्रस्ताव तैयार करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किये गये है। ये दस्तावेज सभी व्यक्तियों के उद्देश्य और आव यकताओं के अनुरूप एवं उपयुक्त हो ऐसा आव यक नहीं है। अतः निविदा भरने वाले व्यक्ति से अपेक्षा है कि समस्त जानकारियों के संबंध में स्वतंत्र रूप से सत्यापन एवं परामर्श प्राप्त करने के उपरांत निविदाएं भरें।
4. निविदा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि, कमी, चूक आदि के लिए नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी या उसके अधिकारी, कर्मचारी किसी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होंगे और इन कारणों से विधि के प्रावधानों के अंतर्गत किसी प्रकार की कार्यवाही के लिए भी उत्तरदायी नहीं होंगे।
5. निविदा आमंत्रण का अर्थ यह नहीं है कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी इस आमंत्रण के अंतर्गत प्राप्त निविदाओं में से किसी निविदा को स्वीकृत करने के लिए बाध्य है।
6. किसी निविदा या सभी निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पास सुरक्षित है।
7. नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी द्वारा विभागीय वेबसाईट www.nayaraipur.gov.in में सूचना प्रकाशित करते हुए, स्व-विवेक से निविदा जमा करने की अंतिम तिथि को बढ़ाया जा सकता है, निविदा सूचना की शर्तों में सं गोधन या निविदा दस्तावेजों को सं गोधित किया जा सकता है। उक्ता ाय की सूचना समाचार पत्रों में विज्ञापित नहीं की जायेगी।

[Handwritten Signature]

नया रायपुर के विभिन्न सेक्टरों में दुकान/हॉल का आबंटन हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

1.0 नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, छ.ग. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत छ.ग. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत गठित स्पेशल एरिया डेव्हलपमेंट अथॉरिटी है, जिसे छत्तीसगढ़ राज्य के लिए राजधानी नगर की प्लानिंग, विकास एवं प्रबंधन के लिए राज्य शासन द्वारा नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है।

नया रायपुर का विकास "नया रायपुर विकास योजना - 2031" के प्रावधानों के अंतर्गत किया जा रहा है। विकास के अनुक्रम में अथॉरिटी द्वारा विभिन्न स्थानों पर, भिन्न-भिन्न उपयोगों के लिए भवनों/सामाजिक/व्यवसायिक सुविधाओं का निर्माण एवं विकास किया जा रहा है। इसी तारतम्य में विभिन्न आकार के दुकान/हॉलका निर्माण कराया गया है। जिन दुकानों/हॉल का आबंटन इस निविदा आमंत्रण सूचना के अंतर्गत किया जा रहा है उनका विवरण अनुसूची-एक एवं दो में दिया गया है।

2.0 अनुसूची-एक एवं दो में दिये गये विवरण के अनुसार दुकानों/हॉल को लाइसेंस पर आबंटन हेतु निर्धारित निविदा आमंत्रण सूचना में दी गई तिथि के दोपहर 3.00 बजे तक उपरोक्त पते पर आमंत्रित है।

2.1 निविदा प्रपत्र जिनमें लाइसेंस की शर्तें आदि दी गई है, दुकानों/हॉल के लिये निर्धारित शुल्क रु. 500/- का भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते हैं या एनआरडीए की वेबसाइट www.nayaraipur.gov.in से डाउनलोड कर, रु. 500/- के बैंक ड्राफ्ट जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, एनआरडीए को देय होगा, निविदा के साथ संलग्न किया जाकर बंद लिफाफे में निर्धारित अंतिम तिथि तक जमा किये जा सकते हैं। निविदा प्रपत्र के लिए निर्धारित शुल्क जमा करने की रसीद या बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा नहीं किये जाने की स्थिति में निविदा अमान्य की जा सकती है।

2.2 निविदा आमंत्रण सूचना में संशोधन किये जाने की स्थिति में सूचना कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाते हुए एनआरडीए के वेबसाइट www.nayaraipur.gov.in पर प्रकाशित की जायेगी।

3.0 आबंटन :-

- 3.1 एक निविदा प्रपत्र में केवल एक ही दुकान या हॉल के लिए निविदा भरी जा सकेगी। दुकान/हॉल का क्रमांक, आकार एवं आरक्षण, मासिक लाइसेंस शुल्क अनुसूची एक एवं दो में दर्शाये अनुसार है।
- 3.2 दुकान/हॉल का आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क का विवरण और मानचित्र अनुसूची-एक एवं दो में दिया गया है। लाइसेंस प्राप्त करने के लिए निविदा दाता को निर्धारित निविदाप्रपत्र में आरक्षित मासिक लाइसेंस शुल्क से अधिक मासिक लाइसेंस शुल्क की राशि भरना होगा। जिस निविदा दाता की लाइसेंस राशि सर्वाधिक होगी, उसके पक्ष में दुकान/हॉल का लाइसेंस प्रदान किये जाने पर विचार किया जा सकेगा।

4.0 निविदा आमंत्रण एवं निविदा भरने वाले व्यक्तियों के लिए निर्देश

- 4.1 दुकान/हॉल के लाइसेंस के लिए अर्हता रखने वाले किसी भी वयस्क व्यक्ति को निविदा में भाग लेने की पात्रता होगी। निविदा प्रपत्र में फोटो लगाना अनिवार्य है।
- 4.2 अर्नेस्ट मनी :- निविदादाता को दुकानों/हॉल के लिए निम्नानुसार अर्नेस्टमनी जमा करना होगा :-

स. क्र.	संपदा का नाम	अर्नेस्ट मनी रूपये में	किसके पक्ष में जमा करना है
1	दुकान	5,000/-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2	हॉल क्रमांक 02	10,000/-	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के नाम से बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा।
	हॉल क्रमांक 01	50,000/-	
	हॉल क्रमांक 03	50,000/-	
	हॉल क्रमांक 04	50,000/-	

- 4.3 उपरोक्तानुसार निर्धारित स्वरूप में अर्नेस्ट मनी जमा करना नहीं पाये जाने पर निविदा निरस्त कर दी जायेगी।

5.0 निविदा तैयार करने एवं जमा करने का तरीका-

निविदा दो लिफाफा पद्धति के अंतर्गत होगी जो निम्नांकित होगी-

- 5.1 लिफाफा "ए" इस लिफाफे में निम्नांकित दस्तावेज संलग्न किया जाना अनिवार्य है -

- (1) फार्म का निर्धारित शुल्क जमा करने की रसीद/बैंक ड्राफ्ट,
- (2) अर्नेस्टमनी का बैंक ड्राफ्ट,
- (3) पेनकार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति,
- (4) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,

- (5) विधवा परित्यक्ता महिला, विकलांग आरक्षित वर्ग के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र का स्व सत्यापित प्रति लिफाफा बंद कर उसके ऊपर लिफाफा "ए" तथा नीचे निविदा दाता का नाम एवं पता लिखा जाना आवश्यक होगा।
- 5.2 लिफाफा "बी" इस लिफाफे में निविदा दरें निर्धारित प्रपत्र जो निविदा दस्तावेज में संलग्न है, भरी जायेंगी। निविदा दरें स्पष्ट अक्षरों में हाथ से या टंकित कर भरी जा सकती है। दरें शब्दों एवं अक्षरों दोनों में भरी जावे। यदि कोई कांट-छांट या संशोधन हो तो स्पष्ट लिखते हुए प्रति-हस्ताक्षर किये जायें। शब्दों एवं अक्षरों या कांट-छांट में कोई विरोधाभास पाया जायेगा तो अधिकतम दरों को विचार में लिया जायेगा।
- 5.3 उपरोक्त दोनों लिफाफे अर्थात् लिफाफा "ए" तथा लिफाफा "बी" एक बड़े लिफाफे में बंद कर उसके ऊपर नाम, पता, एवं सेक्टर नं. दुकान या हॉल क्रमांक जिसके लिए निविदा भरी गई है, लिखकर निविदा की निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय के पूर्व एनआरडीए कार्यालय में जमा किये जायेंगे।
- 5.4 विलंब से प्राप्त निविदा या अपूर्ण निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
- 6.0 निविदा खोले जाने की विधि-
- 6.1 निर्धारित तिथि में निविदा जमा करने का समय समाप्त होने के बाद मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के द्वारा निविदा खोलने की कार्यवाही निविदा दाता या उनके प्रतिनिधि जो उपस्थित होंगे उनके समक्ष की जायेगी। सबसे पहले बाहरी लिफाफा खोला जायेगा उसके बाद लिफाफा "ए" खोला जायेगा।
- 6.2 लिफाफा "ए" के दस्तावेजों का मूल्यांकन करने के बाद पात्रता की जांच की जायेगी। पात्र पाये गये निविदा दाताओं के लिफाफा "बी" अन्य तिथि में, उन्हें उपस्थिति हेतु सूचना देते हुए निर्धारित की गयी तिथि को खोले जायेंगे और प्राप्त निविदा दरों की तुलनात्मक तालिका बनायी जायेगी।
- 6.3 प्राप्त उच्चतम निविदा दर का मूल्यांकन किया जायेगा और यदि उचित पाया गया तो निगोसियेशन के उपरांत या बिना निगोसियेशन किये निविदा स्वीकृत की जायेगी।
- 7.0 निविदा स्वीकृति की सूचना सफल निविदा दाता को दी जायेगी। सूचना पत्र जारी होने के 90 दिनों के भीतर, सफल निविदा दाता को दुकान के लिए छः माह का लाइसेंस शुल्क सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना होगा तथा हॉल क्रमांक 2 के लिए सुरक्षानिधि की राशि रुपये 25,000/- (पच्चीस हजार रुपये मात्र), हॉल क्रमांक 01 के लिए सुरक्षानिधि की राशि रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र), हॉल क्रमांक 03 के लिए सुरक्षानिधि राशि रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) एवं हॉल क्रमांक 04 के लिए सुरक्षानिधि की राशि रुपये 1,00,000/- (एक लाख रुपये मात्र) जमा कर लाइसेंस अनुबंध 100.00 रु. (एक सौ रुपये मात्र) के स्टाम्प पेपर पर कराना अनिवार्य होगा। यदि उपरोक्त समयावधि के भीतर

कोई कार्यवाही नहीं की जाती तो नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को अधिकार होगा कि स्वीकृति निरस्त कर जमा की गयी राशि राजसात कर लेवें। अपरिहार्य कारणों से सफल निविदा दाता के लिखित अनुरोध पर विलंब शुल्क लेते हुए समयावधि बढ़ाये जाने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा।

8.0 लाइसेंस की अन्य शर्तें :-

- 8.1 लाइसेंसधारी दुकान/हॉल चालू रखेगा, लाइसेंस शुल्क, जीएसटी एवं अन्य शुल्क समयावधि में भुगतान करेगा तो इस स्थिति में लाइसेंस अवधि बिना किराये में वृद्धि किये 3 वर्ष के लिए और बढ़ाई जायेगी।
- 8.2 लाइसेंसधारी को स्वयं के व्यय पर लाइसेंस अनुबंध का पंजीयन कराना होगा।
- 8.3 लाइसेंसधारी को मासिक लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से प्रत्येक माह की 10 तारीख के भीतर एनआरडीए कोष में जमा करना होगा। विलंब की स्थिति में, विलंब की अवधि के लिए 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से विलंब शुल्क के साथ देय राशि जमा करायी जा सकेगी परंतु तीन माह से अधिक बकाया रहने पर लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा तथा सुरक्षा निधि राजसात की जा सकेगी।
- 8.4 जिस व्यक्ति को दुकान/हॉल का लाइसेंस प्रदान किया गया है, उसे स्वयं दुकान/हॉल में व्यवसाय चलाना होगा।
- 8.5 लाइसेंसधारी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को दुकान/हॉल का हस्तांतरण नहीं किया जायेगा।
- 8.6 लाइसेंसधारी द्वारा दुकान/हॉल में मुख्य कार्यपालन अधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त किये बिना किसी प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा।
- 8.7 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये गये दुकान/हॉल के अलावा अन्य कोई स्थान पर सामान प्रदर्शित नहीं किया जायेगा न ही किसी प्रकार का अतिक्रमण किया जायेगा।
- 8.8 लाइसेंसधारी द्वारा प्रतिबंधित प्रयोजनों को छोड़कर अन्य सभी मान्य प्रयोजनों के लिए दुकान/हॉल का संचालन किया जा सकता है।
- 8.9 लाइसेंसधारी द्वारा दुकान/हॉल का रख-रखाव एवं रंगाई-पोताई एवं मरम्मत स्वयं के व्यय पर किया जायेगा।
- 8.10 लाइसेंसधारी को विद्युत फीटिंग और बिजली बिल स्वयं वहन करना होगा। साफ सफाई, जल प्रदाय एवं सिवरेज तथा अन्य यूजर्स चार्जस का भुगतान समय पर करना होगा।
- 8.11 किन्हीं कारणों से लाइसेंस निरस्त कर दिये जाने पर/लाइसेंस की अवधि समाप्त हो जाने पर लाइसेंसधारी को दुकान/हॉल आबंटन के पूर्व की स्थिति

- में खाली कर वापस सौपना होगा। लाइसेंसधारी द्वारा जमा की गई प्रीमियम की राशि वापस नहीं की जायेगी।
- 8.12 लाइसेंसधारी को दुकान/हॉल के भीतर एवं आस-पास के स्थान को स्वच्छ रखना होगा और कूड़ादान रखना होगा तथा कूड़ा कचरा एकत्रित कर एनआरडीए द्वारा निर्धारित किये गये स्थान पर उसका निष्पादन करना होगा अन्यथा दुकान का लाइसेंस निरस्त किया जा सकेगा।
- 8.13 लाइसेंसधारी द्वारा लाइसेंस प्रदान किये गये स्थान पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन लगाया जाना प्रतिबंधित है। लाइसेंसधारी केवल अपनी दुकान/हॉल से संबंधित साइन बोर्ड निर्धारित आकार में एनआरडीए से पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर लगायेगा।
- 8.14 लाइसेंसधारी द्वारा विधि के प्रावधानों के अनुसार करों का भुगतान किया जावेगा।
- 8.15 लाइसेंसधारी द्वारा दुकान/हॉल में मादक, विस्फोटक या विधि द्वारा वर्जित अन्य कोई वस्तु का संग्रहण या क्रय-विक्रय नहीं किया जावेगा।
- 8.16 लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर एनआरडीए को लाइसेंस निरस्त कर दुकान/हॉल रिक्त कराकर कब्जा लेने का अधिकार होगा।
- 8.17 किसी तरह की विवाद की स्थिति में प्राधिकारी का निर्णय उभय पक्षों पर बंधनकारी होगा।
- 8.18 छ.ग. विशेष (अचल संपत्ति का व्ययन) नियम 2008 के प्रावधान बंधनकारी होगी।


महाप्रबंधक (प्रशासन)
नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी
नया रायपुर (छ.ग.)

अनुसूची-एक

सेक्टर-25 वाणिज्यिक परिसर, नया राखी में दुकानों का विवरण

सरल क्रमांक	दुकान क्रमांक	आरक्षण	आकार (मीटर में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	आरक्षित लाइसेंस शुल्क (प्रति माह)
01	02	03	04	05	06	07
1	2	अ.जा/अ.ज.जा.	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
2	3	अ.जा/अ.ज.जा.	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
3	4	अ.जा/अ.ज.जा.	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
4	5	अ.पि.वर्ग	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
5	9	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
6	11	अ.जा/अ.ज.जा.	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
7	10	विकलांग	3.2 x 4.0	12.80	137.72	1660.00
8	13	अनारक्षित	4.8 x 3.2	15.36	165.27	1990.00
9	15	अनारक्षित	4.8 x 3.0	14.40	154.94	1860.00
10	16	अनारक्षित	4.8 x 3.0	14.40	154.94	1860.00
11	21	अनारक्षित	3.2 x 4.0	12.80	137.72	1660.00
12	23	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
13	24	अनारक्षित	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
14	25	विधवा/परित्यक्ता	3.0 x 4.0	12.00	129.12	1550.00
15	33	अनारक्षित	1.6 x 3.0	4.80	51.64	620.00
16	34	अनारक्षित	2.1 x 1.5	3.15	33.89	410.00
17	35	अनारक्षित	2.1 x 1.5	3.15	33.89	410.00
18	36	अ.पि.वर्ग	2.1 x 1.5	3.15	33.89	410.00
19	37	अ.जा./अ.ज.जा.	2.1 x 1.5	3.15	33.89	410.00
20	38	विधवा/परित्यक्ता	1.6 x 3.0	4.80	51.64	620.00
21	39	अनारक्षित	1.6 x 3.0	4.80	51.64	620.00
22	40	अ.जा./अ.ज.जा.	2.1 x 1.5	3.15	33.89	410.00
23	41	अ.जा./अ.ज.जा.	2.1 x 1.5	3.15	33.89	410.00


सेक्टर-25 वाणिज्यिक परिसर, नया राखी, दुकानों का मानचित्र



सेक्टर-25 वाणिज्यिक परिसर नया राखी में हॉल का विवरण

सरल क्रमांक	हॉल क्रमांक	आरक्षण	आकार (मीटर में)	क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	क्षेत्रफल (वर्गफुट में)	आरक्षित लाइसेंस शुल्क (प्रति माह)
01	02	03	04	05	06	07
1	हॉल क्र. 1	अनारक्षित	9.46 x 5.03 16.32 x 4.80	47.58 78.34 ----- 125.92	1354.89	16,260.00
2	हॉल क्र. 2	अनारक्षित	7.74 x 3.12 2.10 x 1.50 1.60 x 3.00	24.15 3.15 4.80 ----- 32.10	345.39	4150.00
3	हॉल क्र. 3	अनारक्षित	19.15 x 7.80	149.37	1607.22	19,300.00
4	हॉल क्र. 4	अनारक्षित	19.15 x 7.80	149.37	1607.22	19,300.00

सेक्टर-25 वाणिज्यिक परिसर नया राखी में हॉल का मानचित्र



000000

नया रायपुर के विभिन्न सेक्टरों में दुकान / हॉल / का लाइसेंस पर आबंटन हेतु निविदा प्रपत्र

नवीनतम फोटो
चस्पा कर
स्वयं का
हस्ताक्षर करें।

मैंआत्मज..... आयु.....
पता

..... सेक्टर-25 वाणिज्यिक परिसर, नया राखी, में विभिन्न आकार की दुकानों व हॉल का आबंटन के लिए बुलायी गई निविदा के अंतर्गतसेक्टर स्थित दुकान/हॉल जो लागू न हो काट दे) क्रमांकके लिए अपनी निविदा निम्नांकित अनुसार प्रस्तुत करता/करती हूँ।

सेक्टर एवं ग्राम का नाम	दुकान क्रमांक	हॉल क्रमांक	प्रस्तुत निविदा दर	
			मासिक लाइसेंस शुल्क (अंकों में)	मासिक लाइसेंस शुल्क (शब्दों में)

2. उपरोक्त मासिक लाइसेंस भुल्क पर नियमानुसार वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) पृथक से मेरे द्वारा दी जायेगी।

3. मैंने निविदा की सभी शर्तें पढ़ और समझ ली है एवं वे मुझे मान्य है। मेरे द्वारा निविदा शर्त में निर्धारित अर्नेस्टमनी की राशि का डीडी लिफाफा-ए में रखी गई है।

4. यदि मेरी निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निर्धारित समयावधि में निविदा प्रपत्र में दी गई राशि जमा करूंगा/करूंगी तथा लाइसेंस अनुबंध का पंजीयन कराउंगा/कराउंगी। यदि मेरे द्वारा उपरोक्त शर्तों का पालन नहीं किया गया तो मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी को यह अधिकार होगा कि मेरे द्वारा जमा की गई अर्नेस्टमनी की राशि नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी के पक्ष में राजसात कर लेवें एवं मेरी निविदा निरस्त कर देंगे।

निविदादाता का हस्ताक्षर:-.....

(1) साक्षी का हस्ताक्षर.....

नाम:-.....

नाम:-.....

पता:-.....

पता:-.....

दिनांक:-.....

दिनांक:-.....

(2) साक्षी का हस्ताक्षर.....

नाम:-.....

नाम:-.....

पता:-.....

पता:-.....

दिनांक:-.....